GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(12)/LA-2011/ Dated the December, 2011

To

The Special Secretary (GAD),
General Administration Department,
Government of NCT of Delhi
2nd Level, A-Wing,
Delhi Secretariat,
New Delhi.

Sub: Gazette Extraordinary Notification of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 (Delhi Act 12 of 2011)

Sir,

I am directed to forward herewith two copies of the subject cited notification (English and Hindi versions) for publishing in the Delhi Gazette (Part-IV)-Extra-Ordinary today itself. It is requested that at least 10 Gazette copies of the same may be sent to this Department as soon as received from the press.

Yours faithfully,

Encl: As above

/

(Tarun Sahrawat)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

No. F.14(12)/LA-2011/ Law/261-70 Dated the 29 December, 2011

Copy, together with the copy of enclosures, forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary, Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi-110001 (with 5 copies).
2. The Joint Secretary & Legislative Counsel, Government of India, Ministry of Law & Justice, Legislative Department (Correction Cell), Shastri Bhawan, New Delhi-110001 (with 2 copies).
3. The Pr. Secretary to Lieutenant Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi-110054.
4. The Pr. Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
5. The Pr. Secretary (UD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002
6. The Secretary to Minister of Urban Development, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002
7. The OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
8. The Secretary (LA), Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054.
9. The Deputy Secretary (Admn.), Law, Justice and Legislative Affairs, Govt. of NCT of Delhi with the request to upload a copy of the this Act on Department's website.

Tarun Sahrawat 29/12/11

(Tarun Sahrawat)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

.0

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(12)/LA-2011/ LAW/260 Dated the 29 December, 2011

NOTIFICATION

No.F.14(12)/LA-2011/ LAW/260 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 23rd December, 2011 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2011
(DELHI ACT 12 OF 2011)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 1st December, 2011)

[23rd December, 2011]

Further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title and commencement.** – (1) This Act may be called the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification in the official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

2. **General.** – In the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (hereinafter referred to as the "principal Act" -

(a) for the words "The Corporation" or "the Corporation", wherever they occur, the words "A Corporation" every Corporation", "each Corporation", or "Corporations", as the case may be, shall be substituted;

(b) for the words "Central Government" wherever occurring in different sections, the word "Government" shall be substituted except in sections 2(43), 2(51), 3(6), 9(1)(g), 22 (8), 31, 54, 90(8), 96 (c), 106, 185, 195 (1), proviso to 195 (2), 485, 486, 487, 488 and 490, 490A,

(c) for the word "Delhi" wherever occurring in sections 3(6), 36, 39, 41, 43, 70, 109, 147 (1), 298, 301, 355 , 394 , 399 and 481, the words "the area of the Corporation" shall be substituted;

and there shall also be made in any sentence in which those words occur such changes as the rules of grammar require.

3. Amendment of section 2. – In the principal Act, in section 2, -

(a) for clause (6), the following clause shall be substituted, namely: -

"(6) "Commissioner" means the Commissioner of a Corporation;";

(b) for clause (7), the following clause shall be substituted, namely: -

"(7) "Corporation" means a Corporation established under this Act;";

(c) In clause (51), after the words "Central Government", the words "and the Government" shall be inserted.

4. Substitution of new heading for the heading of Chapter II. – In the principal Act, for the heading of Chapter II, the following heading shall be substituted, namely: -

"ESTABLISHMENT OF CORPORATIONS".

5. Substitution of new sub-heading for the sub-heading of Chapter II. – In the principal Act, for the sub-heading of Chapter II, the following sub-heading shall be substituted, namely: -

"Constitution of Corporations".

DVS

6. Amendment of section 3. – In the principal Act, in section 3,-

(a) for sub-section (1), the following sub-sections shall be substituted, namely: -

"(1) The Government shall, by notification in the official Gazette, establish for the purposes of this Act, three Corporations charged with the municipal government of Delhi.

(1A) The name, area and limits of the three corporations established under sub-section (1) shall be as per the fourteenth schedule;

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely: -

" (2) Every Corporation so established shall be a body corporate with name duly notified by the Government having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and may by the said name sue and be sued."

(c) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely: -

"(5) The total number of seats of councilors and the number of seats reserved for the members of the Scheduled Castes in each Corporation, shall, at the time of establishment of such Corporation, be as determined by the Government by notification in the official Gazette";

(d) In sub-section (6), -

(i) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that the total number of seats in all the Corporations in Delhi shall in no case be more than two hundred and seventy two and the number of seats in each Corporation shall be determined by the Government at the time of establishment of such Corporations:";

(ii) for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided also that for the first election to the Corporations to be held immediately after the commencement of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011, the population figures of every such Corporation as published in relation to 2001 census shall be deemed to be the population thereof as ascertained in that census.";

DVS

(e) in sub-section (7), -

(i) for the words "Central Government", the word "Government" shall be substituted.

(ii) for the words "one-third", the words "one-half" shall be substituted.

(f) in sub-section (8), -

(iii) for the words "Central Government" wherever occurring, the word "Government" shall be substituted;

(iv) for the words "one-third", the words "one-half" shall be substituted.

7. Substitution of new section for section 3A. - In the principal Act, for section 3A, the following section shall be substituted, namely: -

"3A. Division of the area of a Corporation into zones and wards. – (1) The area of every Corporation shall be divided into a number of zones and each zone into a number of wards as specified in the Fourteenth Schedule.

(2) The Government may, by notification in the official Gazette, alter the number or the name, and increase or diminish the area of any zone or ward specified in the Fourteenth Schedule."

8. Amendment of section 5. – In the principal Act, in section 5,-

(a) in sub-section (1), -

(i) for the word "Delhi" occurring after the word "councilors," and before the word "shall", the words "the area of a Corporation" shall be substituted;

(ii) for the word "Delhi" occurring at the end thereof, the words "the area of that Corporation" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "Central Government", the word "Government" shall be substituted.

9. Amendment of section 6. – In the principal Act, in section 6, for the opening phrase "The Corporation, with the previous approval of the Central Government,", the following phrase shall be substituted, namely: -

"A Corporation, with the previous approval of the Government,".

10. Amendment of section 52. – In the principal Act, in section 52 in sub-section (2), for the opening phrase "The Central Government may, after consultation with the Government", the words "The Government may" shall be substituted.

11. Amendment of section 69. – In the principal Act, in section 69, the word "Delhi" shall be omitted.

12. Insertion of new section 90A - In the principal Act, after section 90, the following section shall be inserted, namely :

"90A. Certain officers and employees of the erstwhile corporation to become officers and employees of respective corporations –

(1) On the establishment of the Corporations under sub-section (1) of section 3—

(a) the officers and employees of the erstwhile Corporation at the ward and zonal level shall become officers and employees of the respective new Corporations ;

(b) the officers and employees of the erstwhile Corporation, other than those covered under clause (a), shall be divided amongst the new Corporations by the Director of Local Bodies in consultation with the Commissioner of the erstwhile Corporation

13. Amendment of section 99. – In the principal Act, in section 99, in sub-section (1), in the concluding phrase thereof, for the words and brackets "the Municipal Fund of Delhi (hereafter in this Act referred to as "the Municipal Fund")", the following words and brackets shall be substituted, namely: -

> "by the name of the area of the Corporation as specified by the Government under sub-section (1A) of section 3 (hereinafter in this Act referred to as "the Municipal Fund")".

14. Substitution of section 100.- In the principal Act, for section 100, the following section shall be substituted, namely: -

> "100. Municipal Fund to be kept in the State Bank of India. – All moneys payable to the credit of the Municipal Fund in the General Account shall be received by the Commissioner of each Corporation and shall be forthwith paid into the State Bank of India to the credit of the said Account which shall be entitled "The General Account of the Municipal Fund of the Corporation."

DVS

15. Amendment of section 203. - In the principal Act, in section 203, after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely :-

"(3) The contracts already made in accordance with the provisions of the the bye-laws made thereunder prior to the commencement of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 shall be deemed to have been executed on behalf of the respective Corporations constituted under sub-section (1) of section 3 by the Commissioner until the expiry of the validity of the period of the contract.

16. Amendment of section 298. - In the principal Act, in section 298 for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :-

"(1) All streets within the jurisdiction of each Corporation constituted under sub-section (1) of section 3 of the this Act which are or at any time become public streets, and the pavements, stones and other materials thereof shall vest in such Corporation :

> "provided that no public street which immediately before the commencement of the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 vested in the Union, shall, unless the Central Government with the consent of the concerned Corporation so directs, vest in such Corporation by virtue of this sub-section."

17. Amendment of section 479. – In the principal Act, in section 479, -

(a) in sub-section (2), for the words "Every rule made under this Act, every notification issued under sub-section (2) of section 3A and sub-section (2) of section 52 and bye-laws made by the Central Government under section 349A" , the words "Every rule made under clause (8) of section 22 and section 31" shall be substituted.

(b) after sub-section(2), the following section shall be inserted, namely: -

"(3).- Every rule made under this Act, except rules made under section 22(8) and section 31 of this Act, every notification issued under sub-section (2) of section 3A and sub-section (2) of section 52 and bye-law made by the Government under section 349A shall be laid, as soon as may be after it is made or issued, before the Legislative Assembly of Delhi, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule, bye-laws or notification or the Legislative Assembly agrees that the rule or bye-laws or notification should not be made or issued, the rule or bye-laws or notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or bye-law or notification."

DVS

18. Substitution of new section for section 481A. – In the principal Act, for section 481A, the following section shall be substituted, namely: -

"481A. Regulations and bye-laws to be laid before Legislative Assembly of Delhi. – The Government shall cause every regulation made under this Act and every bye-law made under section 481 to be laid, as soon as may be after it is made or issued, before the Legislative Assembly of Delhi, while it is in session for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the regulation or bye-law or the Legislative Assembly agrees that the regulation or bye-law should not be made or issued, the regulation or bye-law shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation or bye-law."

19. **Insertion of new section 484A.** – In the principal Act, in Chapter XXIV, after the heading thereof, and before section 485, the following section shall be inserted, namely: -

"484A. **(1) Director of Local Bodies** - The Government shall appoint a Director of Local Bodies to assist the Government and discharge functions including –

(i) to coordinate the functions of the Corporations in respect of the common facilities and services that are under the control and management of the Corporation in whose area they are located ;

(ii) to decide, in the interim, the utilization of various assets and discharge of liabilities by the Corporations ;

(iii) to frame the recruitment rules for various posts ;

(iv) to resolve the functional and administrative anomalies or difficulties arising, if any, after constitution of the three corporations in consultation with the Commissioner(s) thereof ;

(v) to coordinate the collection and sharing of Toll Tax from Toll centres / gates that are under the control of respective Corporations in which they are located on the basis of such principles as may be prescribed.

(2) The Director of Local Bodies shall exercise such powers of the Government in relation to the affairs of the Corporations (not being power under sections 487 to 490), as the Government may, by notification in the official Gazette and subject to the conditions and restrictions (including the condition of review by itself), specify in the notification.

(3) The terms and conditions of service and the tenure of office of the Director of Local Bodies shall be such as the Government may, by rules, prescribe.

(4) The Government shall make available to the Director of Local Bodies such staff as the Government considers necessary for the exercise of the powers conferred on him under sub-section (2)

DVS

20. **Insertion of new section 490B.** – In the principal Act, after section 490A, the following section shall be inserted, namely: -

"490B.- Delegation of power by the Government. – The Government may, by notification in the official Gazette, direct that any power exercisable by it under this Act shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, be exercisable by any of its officers or by Commissioner or by any other authority."

21 . Insertion of new section 514 B. - In the principal Act, after section 514 A , the following section shall be inserted,:

" 514-B. Overriding effect of the provisions of the Delhi Development Act, 1957.- Notwithstanding anything contained in this Act, in case of any repugnancy between the provisions of this Act and the provisions of the Delhi Development Act, 1957, the provisions of the Delhi Development Act, 1957 shall prevail over the provisions of this Act.

22. Substitution of Fourteenth Schedule. – In the principal Act, for the Fourteenth Schedule, the following schedule shall be substituted, namely : -

THE FOURTEENTH SCHEDULE

(See section 3A)

THE NAME, AREAS AND LIMITS OF CORPORATIONS

S.No.	Name of the Corporations	Ward No.	Name of the ward	Name of the zone
1.	North Delhi Municipal Corporation	1	Narela	Narela
		2	Bankner	
		3	Alipur	
		4	Bakhtawar Pur	
		5	Bhalswa Jahangir Puri	Civil Lines
		6	Mukund Pur	
		7	Burari	
		8	Jharoda	
		9	Malka Ganj	
		10	Timar Pur	
		11	Mukherjee Nagar	
		12	G.T.B. Nagar	
		13	Dhir Pur	
		14	Adarsh Nagar	
		15	Sarai Pipal Thala	
		16	Jahangir Puri-I	
		17	Samaypur Badli	
		18	Libas Pur	
		19	Bhalswa	
		20	Jahangir Puri-II	
		21	Rohini	
		22	Rithala	

		23	Budh Vihar	
		24	Vijay Vihar	
		25	Pooth kalan	
		26	Sahibabad Daulit Pur	
		27	Begampur	Narela
		28	Bawana	
		29	Karala	
		30	Mundaka	
		31	Nangloi Jat West	Najafgarh
		32	Nilothi	Narela
		33	Pratap Nagar	Rohini
		34	Nithari	
		35	Kirai Suleman Nagar	
		36	Prem Nagar	
		37	Sultanpuri East	
		38	Mangol Puri North	
		39	Sultanpur Majra	
		40	Sultanpuri South	
		41	Guru Harikishan Nagar	West
		42	Peeragarhi	
		43	Nangloi East	
		44	Quammruddin Nagar	
		45	Rohini South	Rohini
		46	Mangolpuri East	
		47	Mangolpuri	
		48	Mangolpuri West	
		49	Rohini North	Rohini
		50	Rohini Central	
		51	Rohini East	
		52	Naharpur	
		53	Pitampura South	
		54	Pitampura North	
		55	Shalimar Bagh North	
		56	Shalimar Bath South	
		57	Paschim Vihar South	West
		58	Paschim Vihar North	
		59	Rani Bagh	Rohini
		60	Saraswati Vihar	
		61	Tri Nagar	
		62	Rampura	
		63	Kohat Enclave	
		64	Shakur Pur	
		65	Nimri Colony	
		66	Sawan Park	
		67	Wazirpur	
		68	Ashok Vihar	
		69	Kamla Nagar	Civil Lines
		70	Rana Partap Bagh	
		71	Sangam Park	
		72	Model Town	
		73	Shastri Nagar	S.P.Zone
		74	Inder Lok Colony	Karol Bagh Zone
		75	Kishan Ganj	
		76	Deputy Ganj	
		77	Kashmere Gate	Civil Lines
		78	Majnu Ka Tilla	
		79	Jama Masjid	City
		80	Chandni Chowk	
		81	Minto Road	
		82	Kucha Pandit	
		83	Bazaar Sita Ram	
		84	Turkman Gate	
		85	Idgah Road	S. P. Zone
		86	Ballimaran	City
		87	Ram Nagar	S.P. Zone
		88	Qasabpura	
		89	Paharganj	
		90	Model Basti	
		91	Karol Bagh	Karol Bagh Zone
		92	Dev Nagar	
		93	Baljit Nagar	

		94	West Patel Nagar	
		95	East Patel Nagar	Karol Bagh Zone
		96	New Ranjit Nagar	
		97	Kirti Nagar	
		98	Mansarovar Garden	
		99	Moti Nagar	West
		100	Karam Pura	
		149	Rajinder Nagar	
		150	Pusa	
		151	Inderpuri	Karol Bagh Zone
		152	Naraina	
2.	South Delhi Municipal Corporation	101	Raja Garden	
		102	Raghubir Nagar	
		103	Punjabi Bagh	
		104	Madipur	
		105	Rajouri Garden	West
		106	Tagore Garden	
		107	Vishnu Garden	
		108	Khyala	
		109	Janak Puri North	
		110	Nangal Raya	
		111	Hari Nagar	
		112	Subash Nagar	
		113	Mahavir Nagar	
		114	Tilak Nagar	
		115	Major Bhupinder Singh Nagar	West
		116	Vikaspuri East	
		117	Janakpuri West	
		118	Janakpuri South	
		119	Milap Nagar	
		120	Sitapuri	Najafgarh
		121	Kanwar Singh Nagar	
		122	Hastsal	West
		123	Vikaspuri	
		124	Vikas Nagar	
		125	Mohan Garden	
		126	Nawada	West
		127	Uttam Nagar	
		128	Bindapur	
		129	Dabri	
		130	Manglapuri	
		131	Sagarpur	
		132	Sagarpur West	
		133	Chhawla	
		134	Nangli Sakravati	Najafgarh
		135	Kakraula	
		136	Matiala	
		137	Roshanpura	
		138	Najafgarh	
		139	Dichaon Kalan	
		140	Khera	
		141	Bijwasan	
		142	Raj Nagar	
		143	Kapashera	
		144	Mahipalpur	Najafgarh
		145	Palam	
		146	Sadh Nagar	
		147	Mahavir Enclave	
		148	Madhu Vihar	
		153	Darya Ganj	
		154	Nizamuddin	City
		155	Lajpat Nagar	
		156	Bhogal	
		157	Kasturba Nagar	Central
		158	Kotla Mubarakpur	
		159	Andrews Ganj	
		160	Amar Colony	
		161	Malviya Nagar	
		162	Village Hauz Rani	
		163	Safdargunj Enclave	
		164	Hauz Khas	
		165	Vasant Vihar	

		166	Munirka	South
		167	R.K.Puram	
		168	Nanak Pura	
		169	Lado Sarai	
		170	Mehrauli	
		171	Vasant Kunj	
		172	Kishangarh	Najafgarh
		173	Said ul Ajaib	
		174	Chhatarpur	
		175	Aya Nagar	
		176	Bhati	
		177	Sangam Vihar	South
		178	Deoli	
		179	Tigri	
		180	Dakshin Puri Extn.	
		181	Khanpur	
		182	Ambedkar Nagar	
		183	Madangir	
		184	Pushp Vihar	
		185	Tuglakabad Extn.	
		186	Sangam Vihar West	
		187	Sangam Vihar Central	Central
		188	Sangam Vihar East	
		189	Chiragh Delhi	South
		190	Chittaranjan Park	Central
		191	Shahpur Jat	South
		192	Greater Kailash-I	
		193	Sriniwas Puri	
		194	East of Kailash	
		195	Govind Puri	
		196	Kalkaji	
		197	Tughlakabad	
		198	Pul Pehlad	
		199	Teh Khand	
		200	Harkeshnagar	Central
		201	Jaitpur	
		202	Meetha Pur	
		203	Badarpur	
		204	Molarband	
		205	Zakir Nagar	
		206	Okhla	
		207	Madanpur Khadar	
		208	Sarita Vihar	
3.	East Delhi Municipal Corporation	209	Mayor Vihar Ph-I	
		210	Dallupura	
		211	Trilok Puri	
		212	New Ashok Nagar	
		213	Kalyan Puri	
		214	Khichripur	Shahdara South
		215	Kondli	
		216	Gharoli	
		217	Vinod Nagar	
		218	Mandawali	
		219	Mayur Vihar Ph-II	
		220	Patparganj	
		221	Kishan Kunj	
		222	Laxmi Nagar	
		223	Shakarpur	
		224	Pandav Nagar	
		225	Anand Vihar	
		226	Vishwash Nagar	
		227	I.P.Extension	Shahdara South
		228	Preet Vihar	
		229	Krishna Nagar	
		230	Geeta Colony	
		231	Ghondli	
		232	Anarkali	
		233	Dhara Pura	
		234	Gandhi Nagari	
		235	Azad Nagar	
		236	Raghubar Pura	
		237	Shahadara	

		238	Jhilmil	
		239	Vivek Vihar	
		240	Dilshad Colony	
		241	Dilshad Garden	
		242	New Seema Puri	
		243	Nand Nagri	
		244	Sunder Nagri	
		245	Durga Puri	
		246	Ashok Nagar	Shahdara North
		247	Ram Nagar	
		248	Welcome Colony	
		249	Chauhan Bangar	
		250	Zafrabad	
		251	New Usmanpur	
		252	Mauj Pur	
		253	Bhajanpura	
		254	Brahampuri	
		255	Ghonda	
		256	Yamuna Vihar	
		257	Subhash Mohalla	
		258	Kardampuri	
		259	Janta Colony	
		260	Babarpur	
		261	Jiwanpur	
		262	Gokalpur	
		263	Saboli	
		264	Harsh Vihar	Shahdara North
		265	Shiv Vihar	
		266	Karawal Nagar East	
		267	Nehru Vihar	
		268	Mustafabad	
		269	Khajoori Khas	
		270	Tukhim Pur	
		271	Karawal Nagar West	
		272	Sonia Vihar	

DVS

(Tarun Sahrawat)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग – IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
8वाँ तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली –110002

सं० फा० 14(12)/एलए–2011/Llaw/260 दिनांक 29 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

सं० फा० 14(12)/एलए–2011/Llaw/260.– भारत की राष्ट्रपति की दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

"दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011
(2011 का दिल्ली अधिनियम 12)

(01 दिसम्बर, 2011 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[23 दिसम्बर, 2011]

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यह निम्न रूप से अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.** – (1) इस अधिनियम का नाम दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जाए।

(2) यह प्रशासक द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानियत तिथि से प्रवृत्त होगा।

बशर्ते कि इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तिथियां नियत की जा सकती है और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के लिए किसी ऐसे उपबंध में किसी उल्लेख को उस उपबंध के प्रवृत्त होने के लिये एक उल्लेख के रूप में मान लिया जायेगा।

2. सामान्य :– दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में (इसके पश्चात "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित–

(क) "निगम" अथवा "निगम" शब्द जहां भी आए है के स्थान पर "कोई निगम", "प्रत्येक निगम", "हर एक निगम" या "निगमों", जैसी भी स्थिति हो, शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) विभिन्न धाराओं में आए शब्दों "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर धारा 2(43), 2(51), 3 (6), 9(1)(जी), 22(8), 31, 54, 90(8), 96(ग), 106, 185, 195(1), परन्तुक से 195(2), 485, 486, 487, 488 तथा 490, 490क धाराओं को छोडकर "सरकार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ग) धारा 3 (6), 36, 39, 41, 43, 70, 109, 147(1), 298, 301, 355, 394, 399 तथा 481 में आए शब्द के स्थान पर "निगम का क्षेत्र" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा,

तथा यह किसी वाक्य में भी किया जाएगा जिसमें ये शब्द ऐसे परिवर्तनों के साथ आते हैं जैसा व्याकरण के नियम अपेक्षा करते हैं।

3. **धारा 2 का संशोधन:–** मूल अधिनियम की धारा 2 में,–

(क) खंड (6), के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"(6) "आयुक्त" का अर्थ निगमायुक्त से है,";

(ख) खंड (7), के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"(7) "निगम" का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम से है,";

(ग) खंड (51) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के पश्चात् "तथा सरकार" शब्दों को सन्निविष्ट किया जायेगा।

4. मूल अधिनियम में अध्याय–II, के शीर्षक के स्थान पर नये शीर्षक का प्रतिस्थापन – अध्याय– II, के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"निगमों की स्थापना"

5. मूल अधिनियम में अध्याय–II, के उप–शीर्षक के स्थान पर नये उप–शीर्षक का प्रतिस्थापन – अध्याय– II, के उप–शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित उप–शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"निगमों का गठन"

6. **धारा 3 का संशोधन :–** मूल अधिनियम की धारा 3 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(1) सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये दिल्ली की नगर निगम सरकार के दायित्वों का निर्वहन करने वाली तीन निगमों की स्थापना करेगी।

(1क) उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित तीन निगमो का नाम, क्षेत्र तथा सीमाए चौदहवीं अनुसूची के अनुसार होंगी,

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:–

"(2) इस प्रकार स्थापित प्रत्येक निगम का निकाय निगम होगा जिसका सरकार द्वारा भलीभाँति अधिसूचित नाम होगा जिसके पास अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संपत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा निपटान करने के लिए शाश्वत उत्तराधिकार तथा शक्ति सहित एक सामान्य मोहर होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकता है तथा उस पर भी वाद चलाया जा सकता है।

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:–

"(5) पार्षदों की सीटों की कुल संख्या तथा प्रत्येक निगम में अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु आरक्षित सीटों की संख्या निगम की स्थापना के समय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सुनिश्चित करेगी।"

(घ) उपधारा (6) में,–

(i) प्रथम परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"प्रावधान है कि दिल्ली में सभी निगमों को किसी भी स्थिति में सीटों की कुल संख्या दो सौ बहत्तर से अधिक नहीं होगी तथा प्रत्येक निगम में सीटों की संख्या का सुनिश्चियन सरकार उस निगम की स्थापना के समय करेगी।"

(ii) तीसरे परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"यह भी प्रावधान है कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ होने के तत्काल पश्चात् होने वाले प्रथम नगर निगम चुनावों के लिए संबंधित निगम की जनसंख्या वही मानी जायेगी जो 2001 की जनगणना में प्रकाशित और सुनिश्चित की गई थी।"

(ङ) उपधारा (7) में,–

(i) "केन्द्र सरकार" शब्दों के स्थान पर "सरकार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) "एक तिहाई" शब्दों के लिए "आधा" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(च) उपधारा (8) में,–

(iii) "केन्द्र सरकार" शब्द जहां भी आते हैं उनके लिए "सरकार" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(iv) "एक तिहाई" शब्दों के लिए "आधा" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(7) **धारा 3क के लिए नयी धारा का प्रतिस्थापनः**– मूल अधिनियम की धारा 3 क के लिए निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"3क निगम के क्षेत्र का जोनों तथा वार्डों में विभाजन – (1) जैसा कि चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट है नगर निगम क्षेत्र का विभाजन जोनों में तथा प्रत्येक जोन का विभाजन कई वार्डों में किया जायेगा।

(2) सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा चौदहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी जोन या वार्ड की संख्या या नाम में परिवर्तन कर सकती है तथा इनका क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है।

8. **धारा 5 का संशोधन :–** मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

(क) उपधारा (1) में–

(i) "पार्षद" शब्द के पश्चात् आने वाले शब्द "दिल्ली" के स्थान पर "निगम का क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ii) उसके अंत में आने वाले शब्द "दिल्ली" के लिए "निगम का क्षेत्र" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में "केन्द्र सरकार" शब्दों के लिए "सरकार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा,

9. **धारा 6 का संशोधन :–** मूल अधिनियम की धारा 6 में प्रारंभिक वाक्यांश "निगम, केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से" के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"निगम सरकार के पूर्वानुमोदन से"

10. **धारा 52 का संशोधन :–** मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) में प्रारंभिक वाक्यांश "केन्द्र सरकार, सरकार से परामर्श के पश्चात्" के स्थान पर "सरकार" शब्द को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. **धारा 69 का संशोधन :–**मूल अधिनियम की धारा 69 में "दिल्ली" शब्द को हटाया जायेगा।

12. **नयी धारा 90क का सन्निवेशन:–** मूल अधिनियम की धारा 90 के पश्चात् निम्नलिखित धारा को सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:–

"90क पूर्व निगम के कुछ अधिकारी तथा कर्मचारी संबंधित निगमों के अधिकारी तथा कर्मचारी होंगे –

(1) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन निगमों की स्थापना पर–

(क) पूर्व निगम के वार्ड तथा जोन स्तर के अधिकारी तथा कर्मचारी संबंधित नयी निगम के अधिकारी तथा कर्मचारी होंगे।

(ख) पूर्व निगम के खंड (क) के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पूर्व निगम के आयुक्त के परामर्श से स्थानीय निकायों के निदेशक द्वारा नयी निगमों में विभाजित किया जायेगा।

13 **धारा 99 का संशोधन** :– मूल अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (1) इसके अन्तिम वाक्यांश में शब्द तथा कोष्ठक दिल्ली नगर पालिका निधि (इसके बाद इस अधिनियम में "नगर पालिका निधि" के रूप में संदर्भित) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:–

"धारा 3 की उपधारा (1क) (इसके बाद इस अधिनियम में नगर पालिका निधि के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट निगम के क्षेत्र के नाम द्वारा"

14. धारा 100 का प्रतिस्थापन – मूल अधिनियम की धारा 100 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"100. नगर निधि भारतीय स्टेट बैंक में रखी जाए – सामान्य खाते में नगर पालिका निधि के क्रेडिट में देय सभी धनराशियां प्रत्येक निगम के आयुक्त द्वारा प्राप्त की जाएगी और उक्त खाते में जमा करने के लिये भारतीय स्टेट बैंक में तत्काल भुगतान की जाएगी जिसका शीर्षक "निगम की नगर निधि का सामान्य खाता होगा।"

15. **धारा 203 का संशोधन** :– मूल अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित धाराएं सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :–

"(3) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ होने से पूर्व इसके अन्तर्गत बनायी गई उपविधियों के उपबंधों के अनुसार संविदा अवधि की वैधता समाप्त होने तक पहले से ही की गई संविदाएं आयुक्त द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित सम्बद्ध निगमों की ओर से निष्पादित की गई मान ली जाएगी।

16. **धारा 298 का संशोधन** :– मूल अधिनियम की धारा 298 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(1) इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित प्रत्येक निगम के क्षेत्र में पड़ने वाली सभी गलियां, जो गलियां है या किसी भी समय सार्वजनिक गलियां बन गई और खडण्जे, पत्थर तथा इसकी अन्य सामग्री ऐसे निगम में निहित होंगे:

"शर्त यह है कि कोई भी सार्वजनिक गली, जो दिल्ली नगर निगम (संशोधन), अधिनियम, 2011 के प्रवृत्त होने के तुरन्त पहले संघ में निहित है, संबंधित निगम की सहमति से केन्द्रीय सरकार जब तक ऐसा निदेश नहीं देती है तब तक इस उपधारा के आधार पर ऐसे निगम मे निहित होगी।"

17. **धारा 479 का संशोधन** :—मूल अधिनियम की धारा 479 में—

(क) उपधारा (2) में शब्द "इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम, धारा 3 (क) की उपधारा (2) और धारा 52 की उपधारा (2) और धारा 349क के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई उपविधियां" "के स्थान पर शब्द" धारा 22 के खंड (8) और 31 के अन्तर्गत बनाया प्रत्येक नियम" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

(3) इस अधिनियम की धारा 22 (8) और धारा 31 के अन्तर्गत बनाए नियमों, धारा 3क की उपधारा (2) के और धारा 52 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना एवं धारा 349क के अन्तर्गत सरकार द्वारा बनाई उपविधि के सिवाय इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गया प्रत्येक नियम के बनने के तुरन्त बाद इसे यथाशीघ्र विधानसभा के सत्र के तीस दिनों के अन्तर्गत चाहे यह एक या दो सत्र का हो या इससे अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो सकता है, सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यदि सत्र के उपरांत तुरन्त बाद सत्र के समाप्त होने से पहले या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्रों से पहले यदि विधानसभा नियम, उपविधि या अधिसूचना में किसी प्रकार का आशोधन करने के लिये सहमत होती है या विधानसभा सहमत होती है कि नियम या उपविधि या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए या जारी नहीं की जानी चाहिए तो नियम या उपविधि या अधिसूचना इसके बाद केवल ऐसे आशोधित रूप में प्रभावी होगी/होगा या कोई प्रभावी नहीं होगी, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसे आशोधन या निरसन का उक्त नियम या उपविधि या अधिसूचना के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. **धारा 481क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन** :—मूल अधिनियम की धारा 481क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"481क दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखे जाने वाले विनियम और रखी जाने वाली उपविधियां :— सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रत्येक विनियम और धारा 481 के अन्तर्गत बनाई प्रत्येक उपविधि बनने या जारी होने के उपरान्त यथाशीघ्र दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखवाएगी। जब विधानसभा का सत्र कुल तीस दिन का हो, जो एक सत्र या दो सत्रों में या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों का समाहार हो सकता है और यदि सत्र के तुरन्त बाद सत्रके समाप्त होने से पहले या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्रों से पहले यदि विधानसभा विनियम या उपविधि में किसी प्रकार का आशोधन करने के लिए सहमत होती है या विधानसभा सहमत होती है कि विनियम या उपविधि नहीं बनाई जानी चाहिए या जारी नहीं की जानी चाहिए तो विनियम या उपविधि इसके बाद केवल ऐसे आशोधित रूप में प्रभावी होगी/होगा या कोई प्रभावी नहीं होगी, जैसी भी स्थिति हो, तथापि ऐसे आशोधन या निरसन का उस विनियम या उपविधि के अन्तर्गत पहले किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19. **नई धारा 484क का सन्निवेशन** :—मूल अधिनियम के अध्याय 24 में इसके शीर्षक के पश्चात् तथा धारा 485 से पूर्व निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"**484क (1) स्थानीय निकायों का निदेशक**— सरकार स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति सरकार के कार्य में सहायता के लिए तथा निम्नलिखित कार्यों के निर्वहन के लिए करेगी—

(i) उन सामान्य सुविधाओं एवं सेवाओं के संबंध में निगम के उन कार्यों का समन्वय करना, जो निगम के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन है जिसके क्षेत्र में वे स्थित हैं;

(ii) विभिन्न परिसंपत्तियों का उपयोग अन्तरिम रूप से निर्णित करना तथा निगम द्वारा दायित्वों का निर्वहन करना;

(iii) विभिन्न पदों के लिये भर्ती नियम बनाना;

(iv) तीन निगमों के गठन के पश्चात् उत्पन्न कठिनाईयां या प्रकार्यात्मक तथा प्रशासनिक विसंगितियाँ (यदि कोई हो) को उनके आयुक्तों के परामर्श से सुलझाना।

(v) उन टोल केन्द्रों / गेटों से टोल टैक्स का संग्रहण एवं हिस्से का समन्वय करना जो उन संबंधित निगमों के नियंत्रणाधीन है जिनमें वे यथानिर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर स्थित है।

(2) स्थानीय निकायों का निदेशक निगम के कार्यों के संबंध में सरकार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा (धारा 487 से 490 तक की धाराओं के अधीन शक्तियां नहीं) जैसा सरकार अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में तथा शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार (स्वयं द्वारा समीक्षा की शर्त सहित) अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करें।

(3) स्थानीय निकायों के निदेशक की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।

(4) सरकार, स्थानीय निकायों के निदेशक को ऐसे स्टॉफ उपलब्ध कराएगी, जैसा सरकार उपधारा (2) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक समझे।

20. **नई धारा 490ख का सन्निवेशन** :– मूल अधिनियम की धारा 490क के पश्चात् निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :–

> "490ख– सरकार द्वारा शक्ति का प्रत्यायोजन– सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति ऐसी शर्तों के अनुसार होगी (यदि कोई हो) जो अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट हो सकती है, इसके अधिकारियों द्वारा या आयुक्त द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोग योग्य हो सकती है।"

21. **नई धारा 514ख का सन्निवेशन** :–मूल अधिनियम में धारा 514क के पश्चात् निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी :–

"514ख. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव– इस अधिनियम में निहित किसी बात के अन्यथा होते हुए, इस अधिनियम तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंधों के बीच प्रतिकूलता की स्थिति में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रभावी रहेंगे।

22. **चौदहवीं अनुसूची का प्रतिस्थापन** :– मूल अधिनियम में चौदहवीं अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :–

चौदहवीं अनुसूची

(धारा 3क देखें)

निगमों के नाम, क्षेत्र एवं सीमाएं

कम सं0	निगम का नाम	वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	जोन का नाम
1.	उत्तर दिल्ली नगर निगम	1	नरेला	
		2	बाकनेर	नरेला
		3	अलीपुर	
		4	बख्तावरपुर	
		5	भलस्वा जहाँगीरपुरी	सिविल लाइंस
		6	मुकुंदपुर	
		7	बुराड़ी	
		8	झड़ौदा	
		9	मलकागंज	
		10	तिमारपुर	
		11	मुखर्जी नगर	
		12	जी0टी0बी0 नगर	
		13	धीरपुर	
		14	आदर्श नगर	
		15	सराय पीपल थला	
		16	जहाँगीरपुरी–1	
		17	समयपुर बादली	
		18	लिबासपुर	
		19	भलस्वा	
		20	जहाँगीरपुरी–2	
		21	रोहिणी	
		22	रिठाला	

		23	बुध विहार	
		24	विजय विहार	
		25	पूठ कला	
		26	साहिबाबाद दौलतपुर	
		27	बेगम पुर	
		28	बबाना	नरेला
		29	कराला	
		30	मुंडका	
		31	नॉगलोई जाट पश्चिम	नजफगढ़
		32	निलोठी	नरेला
		33	प्रताप नगर	
		34	निठारी	
		35	किराडी सुलेमान नगर	
		36	प्रेम नगर	
		37	सुल्तानपुरी पूर्व	रोहिणी
		38	मंगोलपुरी उत्तर	
		39	सुल्तानपुर माजरा	
		40	सुल्तानपुरी दक्षिण	
		41	गुरू हरिकिशन नगर	
		42	पीरागढी	
		43	नॉगलोई पूर्वी	पश्चिम
		44	कमुरूद्दीन नगर	
		45	रोहिणी उत्तरी	
		46	मंगोलपुरी पूर्वी	रोहिणी
		47	मंगोलपुरी	
		48	मंगोलपुरी पश्चिम	
		49	रोहिणी उत्तरी	
		50	रोहिणी केन्द्र	
		51	रोहिणी पूर्वी	
		52	नाहरपुर	रोहिणी
		53	पीतमपुरा दक्षिणी	
		54	पीतमपुरा उत्तरी	
		55	शालीमार बाग उत्तरी	
		56	शालीमार बाग दक्षिणी	
		57	पश्चिम विहार दक्षिणी	
		58	पश्चिम विहार उत्तरी	पश्चिम
		59	रानीबाग	
		60	सरस्वती विहार	
		61	त्रीनगर	
		62	रामपुरा	
		63	कोहाट एंकलेव	
		64	शकरपुर	रोहिणी

५०

		65	नीमड़ी कालोनी	
		66	सावन पार्क	
		67	वजीरपुर	
		68	अशोक विहार	
		69	कमला नगर	
		70	राणा प्रताप बाग	
		71	संगम पार्क	सिविल लाइंस
		72	मॉडल टाउन	
		73	शास्त्री नगर	एस0पी0 जोन
		74	इन्द्र लोक कालोनी	
		75	किशनगंज	करोल बाग जोन
		76	डिप्टी गंज	
		77	कश्मीरी गेट	
		78	मजनू का टीला	सिविल लाइंस
		79	जामा मस्जिद	
		80	चाँदनी चौक	
		81	मिन्टो रोड	सिटी
		82	कूचा पंडित	
		83	बाजार सीताराम	
		84	तुर्कमान गेट	
		85	ईदगाह रोड	एस0पी0 जोन
		86	बल्लीमारान	सिटी
		87	राम नगर	
		88	कसाबपुरा	
		89	पहाड़गंज	स0पी0 जोन
		90	मॉडल बस्ती	
		91	करोल बाग	
		92	देव नगर	करोल बाग जोन
		93	बलजीत नगर	
		94	पश्चिमी पटेल नगर	
		95	पूर्वी पटेल नगर	करोल बाग जोन
		96	न्यू रणजीत नगर	
		97	कीर्ति नगर	
		98	मानसरोवर गार्डन	
		99	मोती नगर	पश्चिमी
		100	कर्मपुरा	
		149	राजिन्दर नगर	
		150	पूसा	
		151	इन्द्रपुरी	करोलबाग जोन
		152	नारायणा	
2.	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	101	राजा गार्डन	

614

		102	रघुबीर नगर	
		103	पंजाबी बाग	
		104	मादीपुर	
		105	राजौरी गार्डन	पश्चिमी
		106	टैगोर गार्डन	
		107	विष्णु गार्डन	
		108	ख्याला	
		109	जनकपुरी उत्तर	
		110	नांगल राया	
		111	हरी नगर	
		112	सुभाष नगर	
		113	मालवीय नगर	
		114	तिलक नगर	
		115	मेजर भूपिन्दर नगर	पश्चिमी
		116	विकासपुरी पूर्वी	
		117	जनकपुरी पश्चिमी	
		118	जनकपुरी दक्षिणी	
		119	मिलाप नगर	
		120	सीतापुरी	नजफगढ़
		121	कंवर सिंह नगर	
		122	हस्तसाल	पश्चिमी
		123	विकासपुरी	
		124	विकास नगर	
		125	मोहन गार्डन	
		126	नवादा	पश्चिमी
		127	उत्तम नगर	
		128	बिंदापुर	
		129	डाबरी	
		130	मंगलापुरी	
		131	सागरपुर	
		132	सागरपुर पश्चिमी	
		133	छावला	
		134	नगली सकरावती	नजफगढ़
		135	ककरौला	
		136	मटियाला	
		137	रोशनपुरा	
		138	नजफगढ़	
		139	दिचाऊं कला	
		140	खेड़ा	
		141	बिजवासन	
		142	राज नगर	
		143	कापसहेड़ा	

		144	महिपालपुर	नजफगढ़
		145	पालम	
		146	साध नगर	
		147	महावीर एंकलेव	
		148	मधु विहार	
		153	दरियागंज	
		154	निजामुद्दीन	सिटी
		155	लाजपत नगर	
		156	भोगल	
		157	कस्तूरबा नगर	केन्द्रीय
		158	कोटला मुबारकपुर	
		159	एन्डरयूज गंज	
		160	अमर कालोनी	
		161	मालवीय नगर	
		162	हौजखास गॉव	
		163	सफदरजंग एंकलेव	
		164	हौजखास	
		165	वसंत विहार	
		166	मुनिरका	दक्षिणी
		167	आर0के0 पुरम	
		168	नानक पुरा	
		169	लाडो सराय	
		170	महरौली	
		171	वसंत कुंज	
		172	किशनगढ	नजफगढ़
		173	सयैद उल अजायब	
		174	छतरपुर	
		175	आया नगर	
		176	भाटी	
		177	संगम विहार	
		178	देवली	
		179	टिगरी	
		180	दक्षिण पुरी एक्सटेंशन	
		181	खानपुर	दक्षिणी
		182	अंबेडकर नगर	
		183	मदनगीर	
		184	पुष्प विहार	
		185	तुगलकाबाद एक्सटेंशन	
		186	संगम विहार पश्चिमी	
		187	संगम विहार केन्द्रीय	केन्द्रीय
		188	संगम विहार पूर्वी	
		189	चिराग दिल्ली	दक्षिणी

		190	चितरंजन पार्क	केन्द्रीय
		191	शाहपुर जट	दक्षिणी
		192	ग्रेटर कैलाश–1	
		193	श्रीनिवास पुरी	
		194	ईस्ट ऑफ कैलाश	
		195	गोविन्द पुरी	
		196	कालकाजी	
		197	तुगलकाबाद	
		198	पुल पेहलाद	
		199	तेह खंड	
		200	हरकेशनगर	
		201	जैतपुर	केन्द्रीय
		202	मीठा पुर	
		203	बदरपुर	
		204	मोलडबंद	
		205	जाकिर नगर	
		206	ओखला	
		207	मदनपुर खादर	
		208	सरिता विहार	
3	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	209	मयूर विहार फेज–1	
		210	दल्लुपुरा	
		211	त्रिलोकपुरी	
		212	न्यु अशोक नगर	
		213	कल्याण पुरी	शाहदरा दक्षिणी
		214	खिचडीपुर	
		215	कोंडली	
		216	घडोली	
		217	विनोद नगर	
		218	मंडावली	
		219	मयूर विहार फेज–2	
		220	पटपडगंज	
		221	किशन कुंज	
		222	लक्ष्मी नगर	
		223	शकरपुर	
		224	पांडव नगर	
		225	आनंद विहार	
		226	विश्वास नगर	शाहदरा दक्षिणी
		227	आई0पी0 एक्सटेंशन	
		228	प्रीत विहार	
		229	कृष्णा नगर	
		230	गीता कालोनी	

		231	घोंडली	
		232	अनारकली	
		233	धारा पुरा	
		234	गाँधी नगर	
		235	आजाद नगर	
		236	रघुबरपुरा	
		237	शाहदरा	
		238	झिलमिल	
		239	विवेक विहार	
		240	दिलशाद कालोनी	
		241	दिलशाद गार्डन	
		242	न्यू सीमापुरी	
		243	नंद नगरी	
		244	सुंदर नगरी	
		245	दुर्गापुरी	
		246	अशोक नगर	शाहदरा उत्तरी
		247	राम नगर	
		248	वेलकम कालोनी	
		249	चौहान बांगर	
		250	जाफराबाद	
		251	न्यू उस्मानपुर	
		252	मौजपुर	
		253	भजनपुरा	
		254	ब्रहमपुरी	
		255	घोंडा	
		256	यमुना विहार	
		257	सुभाष मोहल्ला	
		258	कर्दमपुरी	
		259	जनता कालोनी	
		260	बाबरपुर	
		261	जीवनपुर	
		262	गोकलपुर	
		263	सबोली	
		264	हर्ष विहार	शाहदरा उत्तरी
		265	शिव विहार	
		266	करावल नगर पूर्वी	
		267	नेहरू विहार	
		268	मुस्तफाबाद	
		269	खजूरी खास	
		270	तुखीम पुर	
		271	करावल नगर पश्चिमी	
		272	सोनिया विहार	

तरुन सहरावत

(तरुन सहरावत)

अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)